

के लिए कुछ प्रतिबंधों में है। कोरोना से संक्रमण के पांच जुलाई से पूर्णबंदी मात में ही अधिकारियों ने प्रसार की युष्टि की थी, क्षेत्रों को निरुद्ध क्षेत्र घोषित किया था। राज्य सरकार ने राजधानी में पूर्णबंदी के प्रतिबंधों में ढील देने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल की नियुक्ति की थी। जिला कलेक्टर डॉ. नवजोत खोसा ने मंगलवार देर रात जारी आदेश में कहा, 'जिले में अगले आदेश तक पूर्णबंदी जारी रहेगी।'

SKYLINE INDIA LIMITED				
Reg. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 CIN: L51909DL1996PLC075875 Email: skylineindia96@gmail.com, Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.co.in				
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (Rs. in Lacs except EPS)				
S. No.	Particular	Quarter Ended		Year Ended
		31.03.2020 UN-AUDITED	31.03.2019 UN-AUDITED	31.03.2020 AUDITED
1	Total Income from Operation(Net)	14.17	59.33	40.05
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.16)	(20.16)	(22.24)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.16)	(20.16)	(22.24)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(20.81)	(20.81)	(22.89)
5	Paid-up Equity Share Capital	398.26	398.26	398.26
6	Reserves (excluding Revaluation reserve as Shown in the Balance Sheet of previous year)	(146.15)	(146.16)	(146.15)
7	Earnings Per Share (EPS) (in Rs.)			
	Basic	(0.52)	(0.52)	(0.54)
	Diluted	(0.52)	(0.52)	(0.54)

एमको इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 10795, राँप नं. जीएफ-7, झंडेवाला रोड, रिजवाइन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055
कॉर्पोरेट कार्यालय: सी 53-54, सैक्टर-57, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
CIN: L74899DL1987PLC029035 फोन (पंजी. कार्यालय) 011- 23636320;
(कॉर्पोरेट कार्यालय) 0120-4601500 ई-मेल amco.india@gmail.com
वेबसाइट: www.amcoindialimited.com

ई-मेल पते एवं बैंक खाता विवरण पंजीकरण कराने हेतु सदस्यों के लिए सूचना
भारत सरकार द्वारा की गई हरित-अपनाएँ पहल और सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे कम्पनी के रिकार्ड में अपने ई-मेल पते एवं बैंक खाता विवरणों को अपडेट कराएँ जिससे उन्हें कम्पनी द्वारा भेजे गए सभी संवाद समय पर मिल जाएँ और कम्पनी द्वारा समय-समय पर घोषित लामांश सीधे उनके बैंक खातों में पहुँच जाएँ।
इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई बाधा को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपने पत्र क्रमशः दिनांक 5 मई, 2020 एवं 12 मई, 2020 के माध्यम से यह निर्देश दिये हैं कि कंपनियाँ अपने सभी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य संवाद ('संयुक्त रूप से वार्षिक रिपोर्ट के रूप में ज्ञात') के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल कम्पनी के साथ-उन्के पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से भेजें। कृपया ध्यान दें कि सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है वह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।
इसलिए, सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत कराएँ।
फिजिकल होल्डिंग कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को अनुरोध भेजें:
बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगरी, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062
फोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064
ई-मेल : investor@beetalfinancial.com
डिमेंट होल्डिंग कृपया अपने डीपी से सम्पर्क करें और आपके डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएँ।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
CIN: L26922HR1980PLC010901
स्थान : नोएडा, यूपी
दिनांक : 29.07.2020

KRBL Limited
CIN: L01111DL1993PLC052845
पंजी. कार्या.: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली - 110006
फोन: 011-23968328, फैक्स: 011-23968327
ईमेल: investor@krblindia.com; वेबसाइट: www.krblice.com

केआरबीएल लिमिटेड के सभी इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) उद्यन्त खाते में इक्विटी शेयरों का अंतरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)
यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी एवं समय-समय पर सुधार/यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।
कथित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 23.09.2013 को कंपनी द्वारा घोषित लामांश जो कि सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत/अप्रदत्त है, उससे 30 अक्टूबर, 2020 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर पिछले निरंतर सात वर्षों से लामांश अदावाकृत/अप्रदत्त है, उन्हें भी कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा।
कम्पनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित नहीं करेगी जिनमें ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कोर्ट/ट्रिब्यूनल के विशेष आदेश द्वारा रोक है या ऐसे शेयर जो डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अंतर्गत रهن/बंधक हैं।
ऐसे शेयरधारक जिन्होंने पिछले निरंतर सात वर्षों से (अब तक) अपने लामांश का भुगतान नहीं लिया है और जिनके शेयर आईईपीएफ उद्यन्त खाते में अंतरित किये जाने के पात्र हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट www.krblice.com पर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने पहले ही ऐसे शेयरधारकों को जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत पत्र भी भेजे हैं जिनके शेयर आईईपीएफ उद्यन्त खाते में क्रेडिट से पूर्व शेयरों के दावे पर उचित कार्यवाही करने के लिए आईईपीएफ उद्यन्त खाते को अंतरित किये जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेंट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत हैं, बाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमय माने जाएंगे।
संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटरियलाइज्ड प्रारूप में हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेंट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।
शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को एक बार अंतरित किये गये लामांश एवं शेयरों को वापिस लेने का दावा आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in को देखें) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास किया जा सकता है और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।
यदि कंपनी को 30 सितम्बर, 2020 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद आपके अनुरोध को प्रक्रियागत करना कंपनी के लिए असुविधाजनक होगा और कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास डिमेटरियलाइज्ड एवं अंतरित कर देगी।
इस संबंध में किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित शेयरधारक कंपनी को ई-मेल: investor@krblindia.com पर लिख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट-अलंकित एसआइएमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स, 3ई/7, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-42541955/59 ई-मेल: ramap@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते केआरबीएल लिमिटेड
हस्ता/-
रमन सप्पा
कंपनी सचिव

फॉर्म-जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आभार
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]
मैसर्स सोलो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के संभावित संकल्प आवेदकों के ध्यानाकर्षण हेतु
संबंधित विवरण

1. कॉरपोरेट देनदार का नाम	मैसर्स सोलो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	07-04-1995
3. उस ऑथोरिटी का नाम, जिसके अधीन कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कॉरपोरेट देनदार नियम, 1996 (पंजीकृत है)	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत